राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

[illegible]
[illegible]

क्रमांक–एफ4 (97) परावि / पीसी / हैण्डपम्प स्थापना / 2014 / 2458 जयपुर दिनांक 23.11

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद –समस्त।

विषय– ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्प / ट्यूबवेल(जल स्रोत) की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ– विभागीय प. 1390 दि. 18.9.14 एवं 1153 दि. 12.6.15 तथा 2078 दि. 26.10.15

विभागीय पत्रांक 1390 दिनांक 18.9.14 के द्वारा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत हैण्डपम्प / ट्यूबवेल (जल स्रोत) की स्थापना बाबत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। इसके पश्चात विभागीय पत्रांक 1153 दिनांक 12.6.15 के द्वारा हैण्डपम्प स्वीकृत करने हेतु निर्धारित मापदण्डों में संशोधन तथा पत्रांक 2078 दिनांक 26.10.15 के द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के प्रावधानों में संशोधन किया गया था।

इसी क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत हैडपम्प / ट्यूबवैल की स्थापना हेतु कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत रहेगी। इन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, मूल्यांकन एवं निरीक्षण अभियंताओं द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 (भाग–1) के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का उत्तरदायित्व सहायक अभियंता पंचायत समिति अथवा उनसे वरिष्ठ अभियंता (कार्य की स्वीकृत राशि के आधार पर) का होगा। पूर्णता प्रमाण पत्र के प्रारूप 23 के अंतिम पैराग्राफ में अंकित शर्त **"जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मापदण्डों के अनुरूप हैण्डपम्प स्थापना का कार्य होने का संबंधित सहायक / कनिष्ठ अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न है।"** को भी विलोपित किया जाता है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एकल बिन्दु (सिंगल फेज / थ्री फेज) में कार्य की लागत में विधुत कनेक्शन हेतु राशि का प्रावधान भी किया जाये। ड्रिलिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अधिकतम 15 दिवस में विधुत कनेक्शन के लिए आवेदन किया जावे एवं डिमाण्ड नोट प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम 15 दिवस में यह राशि जमा किया जाना सुनिश्चित किया जावे। विधुत कनेक्शन नही होने की स्थिति में संबंधित ट्यूबवेल को निष्फल माना जायेगा एवं जल स्रोत विकसित करने पर व्यय की गई पूर्ण राशि कार्यकारी संस्था से वसूलनीय होगी। कार्य का पूर्णता प्रमाण विधुत कनेक्शन होने के उपरांत ही जारी किया जावे। हैडपम्प / ट्यूबवैल की स्थापना हेतु मापदण्ड विभागीय पत्रांक 1390 दिनांक 18.9.2014 तथा ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 के अनुसार रहेंगे।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

अतः पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नवीन जल स्रोत की स्वीकृति जारी करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जावे –

1. जनता जल योजनाओं का रख रखाव नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करावें। मोटर पम्प सेट खराब होने की स्थिति को ठीक कराया जावे।
2. बन्द योजनाओं को पुनः चिन्हित किया जावे तथा पी.एच.ई.डी. के सम्बन्धित कार्यालय के सहायक अभियन्ता के साथ जिला/पंचायत समिति स्तर पर बैठक आयोजित कर बन्द योजनाओं को दुरस्त कर पुनः चालू कराया जावे।
3. विद्युत बिलों के भुगतान के अभाव में कनेक्शन विच्छेद होने के कारण बन्द पड़ी योजनाओं की बकाया राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।
4. विद्युत कनेक्शन लिया जाना शेष होने की स्थिति में विद्युत कनेक्शन लेने की कार्यवाही की जावे।
5. ऐसी योजनाऐं जो बन्द है तथा जिन्हें किसी भी प्रयास से चालू नहीं किया जा सकता अर्थात पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो चुकी है, के विद्युत कनेक्शन विच्छेद की कार्यवाही की जावे, ताकि अनावश्यक विद्युत बिल प्राप्त नहीं हो।
6. जिन हस्तान्तरित पेयजल योजनाओं के विद्युत कनेक्शन अब भी पी.एच.ई.डी. के नाम है, तत्काल सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के नाम कराये जावें।

वर्तमान में उपलब्ध प्रत्येक पेयजल स्त्रोत (भले ही इसकी स्थापना पीएचईडी द्वारा ही की गई हो) का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित होने के उपरांत ही नवीन जल स्त्रोतों का निर्माण विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जावेगा। उक्त निर्देशों की अवहेलना करते हुये नवीन जल स्रोत के कार्य स्वीकृत करने की स्थिति में संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी उत्तरदायित्व होंगे।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पीएचईडी, जयपुर।
2. अतिमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
3. विकास अधिकारी,पंचायत समिति समस्त।

(मुकेश माहेश्वरी)
अधिशाषी अभियन्ता (ग्रा.)

कार्यालय जिला परिषद जोधपुर

[illegible]
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
[illegible]